भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1180

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

आरक्षण के लिए कोटा

1180. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ''आरक्षण के लिए कोटा के अंतर्गत कोटा'' से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय सहित उक्त निर्णय में संदर्भित क्रीमी लेयर को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उक्त निर्णय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उक्त निर्णय को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (2011 की सिविल अपील संख्या 2317) के मामले में दिनांक 01.08.2024 के उच्चतम न्यायालय का आदेश केवल अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के बारे में है।

वर्तमान में, क्रीमी लेयर अन्य पिछड़े वर्गों पर लागू होती है।

****